समाचार पत्र का नामः दैनिक जागरण

14 स्टोन क्रशर सीज, 10 करोड़ का जुर्माना

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शासन ने 14 स्टोन क्रशरों पर अनियमितताएं मिलने के बाद उन्हें सीज कर दिया। साथ ही, 10 करोड़ रुपये से अधिक के अर्थदंड भी इन क्रशरों पर लगाया है।

हरिद्वार में अवैध खनन और मानकों के विरुद्ध संचालित स्टोन क्रशरों पर भी न्यायालय के संज्ञान व दखल के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 60 से अधिक स्टोन क्रशरों को सीज किया था। उसके बाद भी अन्य स्टोन क्रशरों पर अवैध खनन का आरोप लगता रहा है। अभी हाल में अवैध खनन की शिकायत पर इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। अवैध खनन और भंडारण की मिल रही शिकायतों के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने कार्रवाई करते हुए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून के नेतृत्व में लक्सर क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान लक्सर क्षेत्र के ग्राम फतवा, महतोली, मुजफ्फरपुर गुर्जर, नेहटपुर, जवाहरखान उर्फ जीवरेड़ी, हरिद्वार तहसील क्षेत्र के बाडीटीप भोगपुर क्षेत्र में संचालित 14 स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया। इनमें 11 क्रशर लक्सर तहसील और तीन क्रशर हरिद्वार तहसील के हैं। जांच में इन क्रशरों में नियमों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। प्रवर्तन दल ने खनन नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्टोन क्रशरों को अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमावली के तहत सीज कर दिया। साथ ही, ई-रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से निलंबित करते हुए संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इन स्टोन क्रशरों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया गया।

- हरिद्वार में मानकों के विरुद्ध संचालित हो रहे थे स्टोन क्रशर
- मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने की कार्रवाई

अवैध खनन को लेकर हरिद्वार में एक स्टोन क्रशर पर कार्रवाई करते अधिकारी।

इन क्रशर पर हुई कार्रवाई

हाईवे कन्स्ट्रशन एंड क्रशर ग्राम फतवा, सिंह स्टोन क्रशर ग्राम फतवा, किसान स्टोन क्रशर महतोली, शुभ स्टोन क्रशर, मुजफ्फरपुर गुजरा, सूर्या स्टोन क्रशर मुजफ्फरपुर गुजरा, तुलसी स्टोन क्रशर ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा महतोली, नेशनल एसोसिएट्स मुजफ्फरपुर गुजरा, लिमरा इंडस्ट्रीज नेहंदपुर, दून स्टोन क्रशर महतोली, गणपति स्टोन केशर जवाहरखान उर्फ झीवरहेड़ी, वानिया स्टोन क्रशर महतोली (सभी लक्सर), मां गंगा स्टोन क्रशर, बाडीटीप, अलकनंद स्टोन क्रशर बाडीटीप, एसएस स्टोन क्रशर बाडीटीप, (हरिद्वार)

अमर उजाला

14 स्टोन क्रशरों पर छापा
10 करोड़ का जुर्माना, सीज

देहरादून/लक्सर। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की टीम ने हरिद्वार जिले के लक्सर और हरिद्वार तहसील क्षेत्र में स्थित 14 स्टोन क्रशरों पर छापा मारा। इस दौरान स्टोन क्रशरों में भारी गड़बड़ी मिली। कहीं पर क्रशर परिसर में अवैध खनन किया जा रहा था तो कहीं उसके पास ही हो रहा था। अवैध भंडारण समेत अन्य गड़बड़ियां भी मिलने पर इन्हें सीज कर दिया गया है। साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना लगाने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास इस बाबत शिकायत पहुंची थी, उनके आदेश पर विभाग के निदेशक राजपाल लेघा ने टीम के साथ 14 स्टोन क्रशरों पर छापा मारा। लेघा ने बताया कि इनमें अवैध खनन, अवैध भंडारण, सीसीटीवी न होना, चाहरदीवारी टूटी होना, हरित पट्टी न होने जैसी तमाम गड़बड़ियां मिलीं। मौके पर पैमाइश कर इन्हें सीज कर दिया गया है। ई-रवन्ना पोर्टल अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा रहा है। ब्यूरो/संवाद

इन क्रशरों पर कार्रवाई

लक्सर स्थित हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड क्रशर ग्राम फतवा, सिंह स्टोन क्रशर ग्राम फतवा, किसान स्टोन क्रशर महतोली, शुभ स्टोन क्रशर मुज्जफरपुर गुजरा, सूर्या स्टोन क्रशर मुज्जफरपुर गुजरा, तुलसी स्टोन क्रशर मुज्जफरपुर गुजरा, नेशनल एसोसिएट मुज्जफरपुर गुजरा, लिमरा इंडस्ट्रीज नेहन्दपुर, दून स्टोन क्रशर महतोली, गणपति स्टोन क्रशर जवाहरखान उर्फ झीवरहेड़ी, वानिया स्टोन क्रशर महतोली और हरिद्वार स्थित मां गंगा स्टोन क्रशर बाडीटीप, अलकनंदा स्टोन क्रशर बाडीटीप व एसएस स्टोन क्रशर बाडीटीप पर छापा मारा।

2 क

हिन्दुस्तान

हरिद्वार-लक्सर में 14 स्टोन क्रशर सीज

सख्ती

लक्सर, संवाददाता। अवैध भंडारण की शिकायतों के बाद खनन विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील लक्सर और हरिद्वार क्षेत्र के 14 स्टोन क्रशरों को सीज कर दिया। इस कार्रवाई से क्रशर संचालकों में मौके पर हड़कंप मच गया।

खनिकर्म निदेशालय देहरादून के नेतृत्व में विभागीय प्रवर्तन दल ने ग्राम बाड़ीटीप, फतवा, महतोली, मुजफ्फरपुर गुजरा और निहंदपुर (उर्फ झीवरहेड़ी) में छापेमारी की। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर अफसरों ने एमएमडीआर ऐक्ट-1957 की धारा 23 सी और उत्तराखंड खनिज (अवैध भंडारण का निवारण) नियमावली-2021 के तहत कार्रवाई की।

ई-रवन्ना पोर्टल अस्थाई तौर पर बंद किया: अफसरों की टीम ने मौके पर स्टोन क्रशरों की पैमाइश करते हुए उनको सीज कर दिया और उनका ई-रवन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इस बाबत एसडीएम सौरभ सिंह असवाल ने बताया कि देहरादून की खनन विभाग की टीम द्वारा लक्सर क्षेत्र के स्टोन क्रशरों में लापरवाही बरते जाने पर यह कार्रवाई की गई।

लक्सर में खनन विभाग ने मंगलवार को स्टोन क्रशर सीज किए। • हिन्दुस्तान

जांचः दस करोड़ से अधिक के अवैध तरीके से भंडारण की आशंका

इन स्टोन क्रशरों पर दस करोड़ रुपये से अधिक के अवैध भंडारण की आशंका जताई गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि इनके संचालकों पर अर्थदंड निर्धारण की कार्रवाई अलग से की जा रही है। सीज प्रमुख स्टोन क्रशरों में हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड क्रशर, सिंह स्टोन क्रशर, किसान स्टोन क्रशर, शुभ स्टोन क्रशर, सूर्या स्टोन क्रशर, तुलसी स्टोन क्रशर, नेशनल एसोसिएट्स, लिमरा इंडस्ट्रीज, दून स्टोन क्रशर, गणपति स्टोन क्रशर, वानिया, मां गंगा, अलकनंदा और एसएस स्टोन क्रशर शामिल हैं।